DISTRICT MAGISTRATE, PRAYAGRAJ

No.-136 Date-16.04.2024

To,

E-Mail/Registered Post

The Registrar,
National Green Tribunal
Principal Bench,
New Delhi.
E-Mail- judicial-ngt@gov.in

Respected Sir,

In reference to the mentioned matter (Original Application No. 544/2023 Paras Nath Vs. Uttar Pradesh Pollution Control Board & Ors.) the joint committee held a meeting on 15.04.2024 to discuss the findings of the joint committee visit held on 06.4.2024 to the IFFCO Phoolpur unit. The minutes and observations noted in the meeting are being enclosed herewith for your kind perusal.

Encl.- As Above.

Your Sincerely,

16/4/24

(Navneet Singh Chahal)
District Magistrate
Prayagraj

माननीय एनजीटी नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 सं0 544/2023 पारस नाथ बनाम उ0प्र0 पाल्यूशन कंट्रोल व अन्य में पारित आदेश दिनॉक 20.02.2024 की अनुपालन आख्याः—

माननीय एनजीटी नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 सं0 544/2023 पारस नाथ बनाम उ0प्र0 पाल्यूशन कंट्रोल व अन्य में पारित आदेश दिनॉक 20.02.2024 का मुख्य अंश निम्नवत् हैः—

3. The Tribunal by order dated 15.09.2023 had constituted a four member Joint Committee comprising of the following:

i. Director deputed by the Member Secretary, Central Pollution Control Board (CPCB).

ii. Member Secretary, State Pollution Control Board (SPCB).

iii. Secretary, Central Ground Water Authority (CGWA).

iv. District Magistrate, District Prayagraj.

4. Director deputed by the Member Secretary, Central Pollution Control Board (CPCB). Member Secretary, State Pollution Control Board (SPCB). Secretary, Central Ground Water Authority (CGWA). District Magistrate, District Prayagraj. The District Magistrate was required to act as a nodal agency.

5. In pursuance to the above order, a joint report has been filed by the Committee. On perusal of the said report, we find that the inspection has been done and the report has been submitted by the Committee comprising of the following: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii.

6. Dr. Ajit Kumar Vidyarthi, Sc-'F', CPCB Delhi. Sh. Ajeet Kumar Jaiswal, SDM Phulpur, Prayagraj. Ms. Reena Satavan, Sc-'E', CPCB Delhi. Sh. Ramesh Kumar Singh, RO Prayagraj, UPPCB. Dr. Raj Kishore Singh, Sc-'D', CPCB Delhi. Sh. Avadhesh Kumar Tripathi, Sc-'C' CPCB Lucknow. Dr. Prabhat Ranjan, Sc-'B', CPCB Delhi. Sh. Ravi Shanker Patel, Hydrologist, UPGWD. We are surprised to note as to how the composition of the Committee constituted by the Tribunal has been changed and new Committee was formed with different members to carry out the inspection and submit the report. It has been submitted by Counsel for the Applicant that though the District Magistrate, District Prayagraj was required to be in the Committee but a report has been signed by SDM, 2 Phulpur, Prayagraj and that SDM, Phulpur, Prayagraj was not even present at the time of inspection but one R.K. Yadav, Lekhpal was present.

7. This Tribunal had directed the District Magistrate, Prayagraj to act as nodal agency, therefore, now it is required to be explained by the District Magistrate, Prayagraj as to how the Committee was changed and the new members were included and report is signed by the person who was not even present at time of inspection and as to why the District Magistrate, Prayagraj, who a member of the Committee, had not carried out the inspection and why he had not discharged the responsibility of coordination in the Committee as directed by the Tribunal.

8. Let the affidavit explaining the above aspects be filed by District Magistrate, Prayagraj within four weeks. We further direct the District Magistrate, Prayagraj will remain present by virtual mode before the Tribunal on the next date of hearing to explain his conduct.

माननीय एनजीटी द्वारा पूर्व में दिनॉक 15.09.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी प्रयागराज की ओर से उप जिलाधिकारी, तहसील फूलपुर, प्रयागराज द्वारा संयुक्त समिति के साथ नोडल एजेंसी के रूप में दिनॉक 17.10.2023 को बैठक की गयी तत्पश्चात् दिनॉक 17.10.2023 एवं 18.10.2023 को उद्योग एवं आसपास के गांव में फसलों, पशुओं एवं मानव के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभाव की जॉच हेतु पृथक–पृथक टीमें बनाई गयी जिनके द्वारा मेसर्स इफ्को फूलपुर प्रयागराज के परिसर के अन्तर्गत जल एवं वायु प्रदूषण की जॉच एवं विभिन्न ग्रामों के हैण्ड पम्प की जॉच, नालों की जॉच, फसलों, पशुओं एवं मानव के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभाव की विस्तृत जॉच की गयी।

संयुक्त समिति द्वारा इफ्को ड्रेन एवं स्टार्म वाटर ड्रेन के विभिन्न ग्रामों से कुल 14 नमूने एकत्र कर विश्लेषण कराया गया। इसी प्रकार पेय जल की जॉच हेतु ग्राम–बीरकाजी, सराय अब्दुल मलिक, पाली, फजिलापुर, जाफरपुर उर्फ बाबूगंज, मानसीखुर्द, अजेहरा, मलेथुआ, खुदायपुर व दुमदुमा आदि ग्रामों से कुल 11 हैण्डपम्पों से पेयजल के नमूने एकत्र कर विश्लेषण कराया गया।

संयुक्त जॉच के पश्चात् आख्या पर जिलाधिकारी प्रयागराज की ओर से संबंधित उप जिलाधिकारी, तहसील फूलपुर जो कि बैठक एवं जॉच का हिस्सा थे, के द्वारा हस्ताक्षर किया गया। जिसकी विस्तृत जॉच आख्या माननीय एनजीटी में दायर की गयी है।

माननीय एनजीटी द्वारा पूर्व में गठित किये गये समिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दिनॉक 17 एवं 18 अक्टूबर, 2023 को किये गये संयुक्त निरीक्षण में चूँकि समिति के सदस्यों की संख्या कम थी तथा कार्यों की अधिकता बहुत ज्यादा थी। अतः सहयोग हेतु विशेषज्ञ विभागों, पशुपालन, कृषि, स्वास्थ्य आदि को भी संयुक्त निरीक्षण के दौरान सम्मिलित किया गया था, जिनके हस्ताक्षर अनुपालन आख्या में कराये गये हैं।

माननीय एनजीटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.02.2024 के अनुपालन में जिलाधिकारी प्रयागराज द्वारा संयुक्त समिति के सदस्यों, सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा नामित निदेशक, सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं सचिव, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, लखनऊ को पत्र दिनॉक 02.04.2024 (संलग्नक–1) के माध्यम से [redacted] संयुक्त निरीक्षण किये जाने हेतु दिनॉक 06.04.2024 की तिथि का निर्धारण किया। निर्धारित तिथि पर जिलाधिकारी प्रयागराज, सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं सचिव, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, लखनऊ की ओर से श्री जगदम्बा प्रसाद वैज्ञानिक 'डी' (एचजी) द्वारा मेसर्स इफ्को फूलपुर प्रयागराज का संयुक्त निरीक्षण किया गया।

संयुक्त निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यः– निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि श्री संजय कुदेशिया (वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक), श्री संजय वैश्य (महाप्रबन्धक, तकनीकी), श्री एम0डी0 मिश्रा (महाप्रबन्धक, उपयोगिता) उपस्थित थे। उद्योग में उत्पादन कार्य होता पाया गया। आवासीय परिसर से जनित सीवेज उत्प्रवाह का शोधन एस0टी0पी0 के माध्यम से किया जाता पाया गया। इसी प्रकार औद्योगिक प्रयोजन से जनित उत्प्रवाह को तीन गार्ड पाण्ड (क्षमता क्रमशः 10000 घन मी0, 7000 घन मी0 एवं 7000 घन मी0) में एकत्र कर शुद्धिकरण हेतु रिवर्स आसमोसिस प्लाण्ट (आर0ओ0 प्लाण्ट) में भेजा जाता है, जिससे शुद्धिकरण के पश्चात् शोधित उत्प्रवाह को कूलिंग टावर में मेकअप वाटर के रूप में प्रयोग किया जाता पाया गया तथा आर0ओ0 प्लाण्ट के रिजेक्ट को कोलयार्ड में स्प्रींकलिंग के रूप में प्रयोग किया जाता पाया गया।

निरीक्षण के समय उद्योग से किसी भी प्रकार का औद्योगिक उत्प्रवाह परिसर के बाहर निस्तारित होता नहीं पाया गया। इसी प्रकार उद्योग से अमोनिया गैस का रिसाव भी निरीक्षण के समय नहीं पाया गया।

माननीय एनजीटी के आदेश दिनॉक 20.02.2024 के अनुपालन में संयुक्त समिति ने दिनॉक 06.04.2024 को इफ्को फूलपुर इकाई के निरीक्षण और संयुक्त समिति द्वारा माननीय एनजीटी के आदेश दिनॉक 15.09.2023 के अनुपालन में दाखिल आख्या के निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए 15.04.2024 को एक बैठक आयोजित की। बैठक में समिति ने निम्नलिखित चर्चा की।

1. दिनॉक 06.04.2024 को निरीक्षण के दौरान इकाई परिसर के बाहर कोई औद्योगिक उत्प्रवाह का निस्तारण नहीं पाया गया।
2. उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग (यूपीजीडब्ल्यूडी) के प्रतिनिधि ने समिति को सूचित किया कि जनवरी 2023 से दिसम्बर 2023 की अवधि के लिए इकाई द्वारा वार्षिक भूजल निकासी 11587270 घन मी0 थी जबकि वार्षिक भूजल निकासी के लिए संचयी अनुमति 18 बोरवेल द्वारा 12949105 घन मी0 है। जो यूपीजीडब्ल्यूडी द्वारा जारी एनओसी के अनुपालन को दर्शाता है।
3. इकाई द्वारा मौजूदा वार्षिक भूजल पुर्नभरण 5232043 घन मी0 है और इकाई ने नारे झील को गोद लेने के माध्यम से 2630054 घन मी0 भूजल पुर्नभरण बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है जो इकाई परिसर से लगभग 5 किमी0 की दूरी पर है।
4. समिति ने पाया कि इफ्को फूलपुर सेमी क्रिटिकल ब्लाक में स्थित है और इसलिए इकाई को अपनी वार्षिक निकासी के बराबर वार्षिक भूजल का 100 प्रतिशत पुर्नभरण सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। यूनिट को रिचार्जिंग सुविधाओं की स्थापना /अपनाने के लिए कार्ययोजना तैयार करने और उसकी मंजूरी के लिए यूपीजीडल्ब्यूडी को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

समिति सम्मानपूर्वक प्रस्तुत करती है कि माननीय एनजीटी के आदेश दिनॉक 15.09.2023 के निर्देशानुसार समिति की संरचना में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संयुक्त समिति द्वारा किये गये कार्य का दायरा बड़ा था जिसमें इफ्को फूलपुर स्थित 5 इकाईयों की निगरानी, आसपास के गांव

की निगरानी, भूजल का नमूना लेना, नाली की निगरानी, लागबुक से डेटा का संग्रहण और मिलान आदि शामिल था। इसलिए समिति की सहायता के लिए यूपीजीडब्ल्यूडी, सीपीसीबी, यूपीपीसीबी, स्वास्थ्य विभाग आदि विभागों के संबंधित अधिकारी शामिल थे। रिपोर्ट में समिति के सदस्यों के साथ–साथ भाग लेने वाले अधिकारियों का नाम अनजाने में उल्लिखित किया गया था। [redacted]। माननीय एनजीटी में पहले ही दायर अनुपालन रिपोर्ट में याचिका में उठाये गये मुददो को शामिल किया गया है और माननीय एनजीटी द्वारा पारित आदेश दिनॉक 15.09.2023 का अनुपालन भी किया गया है।

18/04/24
(जगदम्बा प्रसाद)
वैज्ञानिक 'डी' (एचजी)
केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड,
लखनऊ

16/4/24
(अजीत कुमार विद्यार्थी)
निदेशक,
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण
बोर्ड, नई दिल्ली

16/4/24
(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण
बोर्ड, लखनऊ

16/4/24
(नवनीत सिंह चहल)
जिलाधिकारी
प्रयागराज